फर्द अहकाम

कजोड़मल बनाम राजूलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 48/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	11/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत निषेधाज्ञा के आधार पर अस्थायी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नतीजा में दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
त्र : 340/2024(पुन: दर्ज 48/2024)
नांक : 17.04.2025

उनवानी

लल पुत्र हरसाय
ाल पुत्र हरसाय
म पुत्र हरसाय
लाल पुत्र भगवान सहाय
द राम पुत्र भगवान सहाय
जाति गुर्जर, समस्त निवासीगण मुहाना मोड, गुर्जरों की तलाई, तहसील सांगानेर, जिला
र, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति गुर्जर, निवासी– मुहाना मोड, गुर्जरों की तलाई, तहसील सांगानेर,
ना जयपुर, राजस्थान ।
नं लाल
श्वर पुत्रान कालूराम,
ति गुर्जर, निवासी मुहाना मोड, गुर्जरों की तलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
न्हैयालाल
मोदर पुत्रान गुल्लाराम,
ाति गुर्जर, निवासी मुहाना मोड, गुर्जरों की तलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
ल्याण पुत्र भूरा (मृतक),
/1 लक्ष्मीनारायण गुर्जर
/2 जगदीश गुर्जर
/3 श्रवण गुर्जर
/4 कमरपाल गुर्जर
/5 भजन लाल गुर्जर
/6 लाली देवी
6/7 भूरी देवी
6/8 गंगा पत्नी स्व. कल्याण
समस्त जाति गुर्जर, निवासी मुहाना मोड, गुर्जरों की तलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

वाद पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी व स्थायी निषधाज्ञा अन्तर्गत धारा 128 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे वादीगण के अधिकार व स्वामित्व की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 325 खाता संख्या पुराना 303 के खसरा संख्या 1224 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टेयर, खसरा संख्या 1225 रकबा 3400 हैक्टेयर खसरा संख्या 1226 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, संख्या 1227/4970 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा 928 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 951 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर स्थित है जिनमें से वादीगण ने ा नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227/4970, 1229 का सीमाज्ञान करवाने हेतु कार्यालय भू–प्रबंध कारी जयपुर के समक्ष वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय भू अधिकारी जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 07.10.2024 को कार्यालय तहसीलदार भू अभिलेख ोल सांगानेर के द्वारा उक्त खसरान् के सीमा चिन्ह उठाकर दिनांक 07.10.2024 को सीमाज्ञान सुपर इम्पोज रिपोर्ट तैयार कर सुपर इम्पोज नक्शा तैयार कर दिनांक 15.10.2023 को सीमा चिन्ह क्त कर फर्द चिन्हिकरण रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण को पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये जिसके सीमाज्ञान की सम्पूर्ण सत्यापित पत्रावली वादपत्र के साथ संलग्न है। वादीगण स्थाई रुप कब्जाकाश्त करते चले आ रहे है तथा यहां के मूल निवासी है। वादीगण की भूमि की सीमाओं के स ही प्रतिवादीगण की आराजी भूमि स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227/4970, 1229 में वादीगण के स्वामित्वशुदा ं कब्जेशुदा कृषि भूमि के लगवा स्थित प्रतिवादीगण की भूमि है जिसको ये लोग विक्रय कर उस र आवासीय कॉलोनी व भूखण्ड विकसित करने पर आमादा है जिससे वादीगण को आशंका हो गयी वादीगण की आराजीयात के लगवा प्रतिवादीगण की भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित करने से ादीगण के स्वामित्व अधिकार की भूमि में फेर बदल हो सकता है तथा वादीगण अपने स्वामित्व की आराजीयात का स्वतंत्र उपयोग उपभाग करने से महरूम हो सकते है तथा अशांति फैलने की पूर्ण आशंका है इसलिये वादीगण अपने सीमाज्ञान करवाये हुये खसरों की पत्थरगढी करवाना चाहते है। दिनांक 29.11.2024 को मौके पर प्रतिवादीगण जेसीबी व मजदूरों के साथ आये और वादीगण की उक्त आराजीयात पर नींव खोदने का काम शुरु करने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोका और कहा कि यह भूमि हमारी है हम ही रिकॉर्डेड खातेदार है, हमने सेटलमेन्ट से हमारी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवा लिया है उस समय आप लोग भी मौजूद थे किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने गाली गलौच करने लगे तथा मौके पर भीड इकट्ठा होने से प्रतिवादीगण चले गये लेकिन वादीगण को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान होने के बावजूद भी ऐन केन प्रकारेण नाजायत कब्जा कर लेगे जिसके कारण वादीगण को पत्थरगढी व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ है। वादीगण अधिकारी है कि वह माननीय न्यायालय के जरिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा देवे कि जब तक उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि की पत्थरगढी नहीं हो जाती तब तक प्रतिवादीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पावंद किया जावे। वादीगण गिरदावर निरीक्षक क्षेत्र व ग्राम सांगानेर, पटवारी हल्का सांगानेर द्वारा अपने स्वामित्व व खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षार्थ उसके चारों तरफ पत्थरगढी व तार फेंसिग करवाना चाहते है। वादकारण दिनांक 29.11.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर जेसीबी लेकर नींव खोदने का कार्य शुरु करने से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक निरन्तर रुप से जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

माननीय न्यायालय द्वारा पत्थरगढी किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है तो वादीगण गढी का सम्पूर्ण खर्चा वहन करने के लिये तैयार है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान जावे:– वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान् 1224, 1225, 1226, 1227/4970, की सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 07.10.2024 व 15.10.2024 की रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये स्थाई आज्ञा पाबंद किया जावे कि जब तक उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि की पत्थरगढी नहीं हो जाती तक प्रतिवादीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील ो उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 6 की मृत्यु दौराने वाद हो के है इसलिए दिनलांक 05.02.2025 को पारित किये गये आदेश को निरस्त किया गया तथा तिवादी संख्या 1 लगायत 5 को पुनः नोटिस जारी कर नोटिस पेश करने हेतु नियत की गई। नांक 12.02.2025 को वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 मृतक का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ाप्ता दीवानी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी बहस सूनी गई व ादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये। तक प्रतिवादी संख्या कल्याण के वारिसान का बतौर प्रतिवादी संख्या 6/1 लव 6/8 पक्षकार संयोजित किये गये। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6/1 से 6/8 की ओर से अधिवक्ता श्री भोरेलाल ने ाकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 1 से 6/1 लगायत 6/8 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया की न्यायालय हाजा पुनः सीमाज्ञान व रकबा बरारी कराते है तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण को आपत्ति नही है। पुनः सीमाज्ञान होने तक दोनों पक्षो को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् आदेश दिये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रनिवादी संख्या 6 स्व0 कल्याण की भूमि ग्राम शिकारपुरा में पडती है। खसरा नम्बर 1802 व खसरा नम्बर 1809 में स्थित कुओं से दोनों गांवों की आसपास की भूमि का सीमाज्ञान किया जाता है तो सभी खसरा नम्बरान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। प्रतिवादी नम्बर 6 की भूमि बावत् सीमाज्ञान रिपोर्ट भी तभी प्रभावी होगीं। अतः जवाब दावा प्रस्तूत न्यायालय से प्रार्थना है कि वादीगण का उक्त दावा मय हर्जे– खर्चे खारिज करने की कृपा करे मुताबिक जवाब पुनः सीमाज्ञान व रकबा बरारी कराने की कृपा करावे।

वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी व स्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई । हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण के अधिकार व स्वामित्व की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 325 खाता संख्या पुराना 303 के खसरा संख्या रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1225 रकबा 3400 हैक्टेयर खसरा संख्या 1226 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/4970 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 928 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 951 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर स्थित है जिनमें से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ीगण ने खसरा नम्बर 1224, 1225, 1226, 1227/4970, 1229 का सीमाज्ञान करवाने हेतु कार्यालय प्रबंध अधिकारी जयपुर के समक्ष वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर भू ध अधिकारी जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 10.09.2024 को तहसीलदार वादीगण के खसरा बरान का सीमाज्ञान कर दिया गया परन्तु प्रतिवादीगण उक्त सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नही है और ने जवाब कथन किया कि उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वजो के समय से अपनी चारों ओर र फैंसिंग की हुई है तथा मौके पर मेडे बनी हुई है सीमाज्ञान में साबिक रिकार्ड की पूर्णतया अनदेखी ा गई है। व खसरे की सीमा मेल नही खाती है। ना तो प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान रवाया गया और ना ही उनके हस्ताक्षर है। प्रवितादीगण दोनों पक्षो की उपस्थिति व दोनों पक्षो की ाराजीयात का सेटलमेंट कार्यालय भू प्रबंध अधिकारी जयपुर से दूबारा करवाना चाहतें है ऐसी स्थिति प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी आंशिक रूप से स्वीकार केया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, ज़िला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 325 खाता संख्या पुराना 303 के खसरा संख्या 1224 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1225 रकबा 3400 हैक्टेयर खसरा संख्या 1226 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1227/4970 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1229 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 928 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 951 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में खसरा संख्या 1802 व खसरा संख्या 1809 में स्थित कुओं से सेटलमेंट विभाग की टीम द्वारा **DGPS** मशीन द्वारा सीमाज्ञान करवाने जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अनुतोष खारिज किये ज़ाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर